

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़**  
(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)  
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 09 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 26

विजय कृष्ण कौशिक निवासी 12 पूना कॉलोनी मेन रोड वार्ड नं. 43 श्रीगंगानगर  
बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 07.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्रांक/पीए/2024/856 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक 854 दिनांक 01.05.2024 द्वारा वांछित सूचना जरिये रजि. डाक भिजवाई जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी है। जबकि प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्रांक/854 दिनांक 01.05.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)  
जिला कलक्टर  
अनूपगढ़ A.S.  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
अनूपगढ़